

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन

क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/04

रायपुर, दिनांक 27.10.2004

प्रति,


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- राज्य शासन के नवनियुक्त कर्मचारियों हेतु दिनांक 1.11.2004 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करना ।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.11.2004 अथवा इसके पश्चात् पेंशन योग्य स्थापना में नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर एक नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त योजना लागू करने संबंधी प्रारंभिक अधिसूचना तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 एवं "छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम में संशोधन की अधिसूचना की प्रति संलग्न है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(सतीश पाण्डेय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


पृ.क्र. 981/सी-761/04/वि/नि/चार

रायपुर, दिनांक 27.10.2004

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।

5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
 6. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
 8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
 9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
 10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
 11. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
 12. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
 13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
 14. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
 15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
 16. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
 20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
 21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
 22. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन दुर्गसंभाग, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

जाचक क्रमांक/DRG/2024/2164- /पी-ए- /उच्च शिक्षा विभाग/ E53008

दुर्ग दिनांक 17/10/2024

पेंशन अदायगी आदेश
संवितरक/पेंशनर का भाग

पी.पी.ओ. क्र. PDRG1024084

छत्तीसगढ़ शासन को विकल्पनीय

मुख्य शीर्ष -2071 पेंशन

उप-शीर्ष अधि वार्षिकी (भतदेय/भारित)



अधिकारी

नाम/पद - श्री. दिवाकर सिंह राठौर, ए.ए.टी., ए.डी.ओ.,
दुर्ग संभागीय संयुक्त संचालक कोष, दुर्ग (छ.ग.)

अनुसूची

1.सेवा में प्रवेश की तिथि	17/09/1990
2.कुल सेवा	वर्ष 34 माह 0 दिन 14
3.अंतिम/असत उपलब्धि	43500

पेंशनर का नाम तथा सेवानिवृत्ति/निधन की तिथि	पेंशन का वर्ग तथा प्रारंभ होने की तिथि	कद तथा वैयक्तिक पहचान के निशान	जन्म तिथि	धर्म और राष्ट्रीयता	पेंशनर का पूरा पता	पेंशन की मासिक राशि	वेतनमान जिसके अनुसार मेंहगाई राहत देय
1	2	3	4	5	6	7	8
खिलावन सिंह बंचोर 30/09/2024	अधि वार्षिकी 01/10/2024	05.06फिट बायीं ओर में तिरछापन	11/09/1962	हिन्दू भारतीय	वृन्दावनगर बोरसी चार्ज न. 51 सोसायटी के सामने गली बोरसी दुर्ग छ. ग.	21750	पुनरीक्षित वेतन मान 2017

प्रति.

जिला कोषालय अधिकारी, दुर्ग

कृपया ऊपर दी गई अनुसूची के अनुसार श्री/श्रीमती/कु. खिलावन सिंह बंचोर/KHILAWAN SINGH BANCHHOR सेवानिवृत्ति(पद) प्रयोगशाला तकनीशियन कार्यालय प्राचार्य शासक कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग को आगामी सूचना तक और हर माह के समाप्त होने पर पेंशन के रूप में राशि रु. 21750 (शब्दों में रु. इक्कीस हजार सात सौ पचास) तथा राहत पुनरीक्षित वेतन मान 2017 के अनुसार देय आयकर वसूल कर भुगतान करें। भुगतान दिनांक 01/10/2024 से प्रभावशाली होगा।

- श्री/श्रीमती खिलावन सिंह बंचोर की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के अगले दिन से श्री/श्रीमती पुष्पांजली बंचोर/pushpanjli banchhor(पत्नी) जन्मतिथि: 17/03/1965 को उनकी मृत्यु या पुनर्विवाह(यदि लागू हो) की तिथि तक, जो भी पहले हो, परिवार पेंशन निम्न दर से दी जाये-

- बढ़ी हुई दर से दिनांक 10 माह 09 सन 2029 तक रूपये 21750 (शब्दों में ₹ इक्कीस हजार सात सौ पचास)

- सामान्य दर से दिनांक 11 माह 09 सन 2029 से रूपय 13050 (शब्दों में ₹ तेरह हजार पचास)

(पेंशन की अदायगी विधवा/विधुर से मृत्यु प्रमाण-पत्र और प्रार्थना-पत्र का फार्म प्राप्त होने पर की जाये)

- मृत्यु सहसेवानिवृत्ति उपादान प्राधिकार क्र. GDRG1024084 वास्ते ₹ 1047915 (शब्दों में रु. दस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ पन्द्रह.)

- संराशिकरण राशि ₹ 0 (शब्दों में ₹)

- भुगतान के समय पूर्व में भुगतान की गई प्रत्याक्षित पेंशन तथा पेंशन से वसूली योग्य राशियों का समायोजन कर



Digitally signed by DIWAKAR SINGH RATHORE
Date: 2024.10.17 11:43:07 +05:30
Reason: Digital Verification
Location: Chattishgarh

विभाजन योग्य			
	वर्धित दर	सामान्य दर	उपदान
एकीकृत म.प्र.	6450	3870	310778
म.प्र.	0	0	0
छ.ग.	15300	9180	737137
योग	21750	13050	1047915

संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन
दुर्ग संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़)